नायब आदेश पत्रक दि० 26/9/18 ह० अपठनीय

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :बरेली,जनपद :बरेली,तहसील :बरेली
वाद सख्या :-04284/2018
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T201812130104284
एच॰ एस॰ सेवा ट्रस्ट बरेली बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

प्रस्तुत वाद में वादी जगमोहन सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह नि0ग्राम रजपुरी नवादा पोस्ट भुता परगना तहसील व जिला बरेली द्वारा ग्राम रजपुरी नवादा परगना तहसील व जिला बरेली स्थित भूमि गाटा संख्या 356 रकवा 0.459 है0 भूमि को अकृषिक घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार सदर बरेली से कराई गई। तहसीलदार सदर की प्राप्त आख्या दिनॉक 13.09.2018 में उल्लिखित किया है कि गाटा संख्या 356 रकवा 0.459 है0 सम्पूर्ण क्षेत्रफल बाउण्ड्रीवाल के अन्दर है तथा उक्त गाटा संख्या पर यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट का भवन निर्माणाधीन है व कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। आख्या में यह उल्लिखित है कि इस भूमि पर कृषि कार्य मत्स्यपालन, सुअर पालन, कुक्कुटपालन, मधुमक्खी पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है। भूमि अकृषिक प्रयोजन में लाई जा रही है। आख्या में उल्लिखित किया गया है कि भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने से ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। आख्या के साथ खतौनी व खसरा, सी0एच041, सी0एच0 45 एवं नजरी नक्शा संलग्न किये गये हैं। तद्नुसार तहसीलदार सदर द्वारा प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है।

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर बरेली

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि वर्ष 1421–1426फ0 के ग्राम रजपुरी नवादा स्थित भूमि खाता संख्या 00270 के गाटा सख्या 356 रकवा 0.459 है0 पर वादी एच0एस0 सेवा ट्रस्ट, बरेली (उत्तर प्रदेश) पता 27 शक्ति नगर पीलीभीत बाईपास रोड निकट मेडिसिटी अस्पताल पोस्ट रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली (उत्तर प्रदेश) द्वारा अध्यक्ष जगमोहन सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह निवासी ग्राम रजपुरी नवादा पोस्ट भुता तहसील व जिला बरेली का नाम अंकित है। तहसीलदार सदर की प्राप्त आख्या दिनॉक 13.09.2018 में उल्लिखित किया है कि गाटा सख्या 356 रकवा 0.459 है0 पर बाउण्ड्रीवाल बनी है तथा इंस्टीट्यूट का भवन निर्माणाधीन है व कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। आख्या में यह उल्लिखित है कि इस भूमि पर कृषि कार्य मत्स्यपालन, सुअर पालन, कुक्कुटपालन, मधुमक्खी पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है। तहसीलदार की आख्या के आधार पर निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन के अनुसार कुल भूमि का 1 प्रतिशत 12,860/– होता है। वादी ने उक्त कुल धनराशि रूपये 12,860/– चालान सं0–आई0ई0 67579 दिनांक 14.09.2018 द्वारा बैंक में जमा कर दी है। जिसकी चालान की प्रति पत्रावली पर संलग्न है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सदर बरेली की आख्या से सहमत होते हुये वादीय आराजी को अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## आदेश

उपरोक्त तथ्यो के आलोक में तहसीलदार सदर बरेली की आख्या से सहमत होते हुये वर्ष 1421–1426 फ0 की खतौनी ग्राम रजपुरी नवादा स्थित आराजी खाता संख्या 00270 के गाटा सख्या 356 रकवा 0.459 है0 भूमि जिस पर बाउण्ड्रीवाल बनी है तथा भवन निर्माणाधीन है व कृषि कार्य नही हो रहा है, को अकृषिक घोषित किया जाता है। तहसीलदार सदर बरेली की आख्या दिनांक 13.09.18 एवं नजरी नक्शा इस आदेश का अंग

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :बरेली,जनपद :बरेली,तहसील :बरेली
वाद संख्या :-04284/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201812130104284
एच० एस० सेवा ट्रस्ट बरेली बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर बरेली

रहेगी। आदेश की एक प्रति सब रजिस्ट्रार बरेली को भेजी जाये। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो।

दिनाँक – 26/9/18

(एम०पी०सिंह)
उप जिलाधिकारी सदर,
बरेली।

RK

1- आदिपाल सिंह एडवोकेट
2- 2203
3- 27/9/18
4- 28/9/18
5- 28/9/18
6- Rk
7- [illegible]
8- मिलान [illegible]
9- शब्द सं० 300

पृष्ठ संख्या :

आदेश पत्रक दि० 26/9/2018 ह०

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :बरेली,जनपद :बरेली,तहसील :बरेली
वाद सख्या :-04283/2018
कंम्प्यटरीकृत वाद संख्या :-T201812130104283
एच० एस० सेवा ट्रस्ट बरेली बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

प्रस्तुत वाद में वादी जगमोहन सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह नि0ग्राम रजपुरी नवादा पोस्ट भुता परगना तहसील व जिला बरेली द्वारा ग्राम अमलोनीपुर परगना तहसील व जिला बरेली स्थित भूमि गाटा संख्या 394 रकवा 0.421 हे0, गाटा संख्या 395 रकवा 0.015हे0 व गाटा संख्या 397 रकवा 0.061 हे0 भूमि को अकृषिक घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार सदर बरेली से कराई गई। तहसीलदार सदर की प्राप्त आख्या दिनॉक 13.09.2018 में उल्लिखित किया है कि गाटा संख्या 394 रकवा 0.421 हे0, गाटा संख्या 395 रकवा 0.015हे0 व गाटा संख्या 397 रकवा 0.061 हे0 सम्पूर्ण क्षेत्रफल बाउण्ड्रीवाल के अन्दर है तथा उक्त गाटा संख्याओं पर यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट का भवन निर्माणाधीन है व कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। आख्या में यह उल्लिखित है कि इस भूमि पर कृषि कार्य मत्स्यपालन, सुअर पालन, कुक्कुटपालन, मधुमक्खी पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है। भूमि अकृषिक प्रयोजन में लाई जा रही है। आख्या में उल्लिखित किया गया है कि भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने से ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना नहीं है। आख्या के साथ खतौनी व खसरा, सी0एच041, सी0एच0 45 एवं नजरी नक्शा संलग्न किये गये हैं। तदनुसार तहसीलदार सदर द्वारा प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि वर्ष 1422–1427फ0 के ग्राम अमलोनीपुर स्थित भूमि खाता संख्या 00083 के गाटा सख्या 394 रकवा 0.421 हे0, गाटा संख्या 395 रकवा 0.0150 हे0 व गाटा संख्या 397 रकवा 0.0610हे0 पर वादी एच0एस0 सेवा ट्रस्ट, बरेली (उत्तर प्रदेश) पता 27 शक्ति नगर पीलीभीत बाईपास रोड निकट मेडिसिटी अस्पताल पोस्ट रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली (उत्तर प्रदेश) द्वारा अध्यक्ष जगमोहन सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह निवासी ग्राम रजपुरी नवादा पोस्ट भुता तहसील व जिला बरेली का नाम अंकित है। तहसीलदार सदर की प्राप्त आख्या दिनॉक 13.09.2018 में उल्लिखित किया है कि गाटा सख्या 394 रकवा 0.421 हे0, गाटा संख्या 395 रकवा 0.0150 हे0 व गाटा संख्या 397 रकवा 0.0610हे0 पर बाउण्ड्रीवाल बनी है तथा इंस्टीट्यूट का भवन निर्माणाधीन है व कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। आख्या में यह उल्लिखित है कि इस भूमि पर कृषि कार्य मत्स्यपालन, सुअर पालन, कुक्कुटपालन, मधुमक्खी पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है। तहसीलदार की आख्या के आधार पर निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन के अनुसार कुल भूमि का 1 प्रतिशत 25,688/– होता है। वादी ने उक्त कुल धनराशि रूपये 25,688/– चालान सं0–आई0ई0 67548 दिनांक 14.09.2018 द्वारा बैंक में जमा कर दी है। जिसकी चालान की प्रति पत्रावली पर संलग्न है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सदर बरेली की आख्या से सहमत होते हुये वादीय आराजी को अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## आदेश

उपरोक्त तथ्यो के आलोक में तहसीलदार सदर बरेली की आख्या से सहमत होते हुये वर्ष 1422–1427 फ0 की खतौनी ग्राम अमलोनीपुर स्थित आराजी खाता

## आदेश पत्रक

**न्यायालय : उपजिलाधिकारी**
**मण्डल :बरेली,जनपद :बरेली,तहसील :बरेली**
**वाद संख्या :-04283/2018**
**कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201812130104283**
**एच० एस० सेवा ट्रस्ट बरेली बनाम सरकार**
**अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006**

---

संख्या 00083 के गाटा सख्या 394 रकवा 0.421 हे0, गाटा संख्या 395 रकवा 0.0150 हे0 व गाटा संख्या 397 रकवा 0.0610हे0 भूमि जिस पर बाउण्ड्रीवाल बनी है तथा भवन निर्माणाधीन है व कृषि कार्य नही हो रहा है, को अकृषिक घोषित किया जाता है। तहसीलदार सदर बरेली की आख्या दिनांक 13.09.18 एवं नजरी नक्शा इस आदेश का अंग रहेगी। आदेश की एक प्रति सब रजिस्ट्रार बरेली को भेजी जाये। पत्रावली वाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

दिनॉक – 26/9/18

(एम०पी०सिंह)
उप जिलाधिकारी सदर,
बरेली।

1-[illegible] का नाम [illegible]
2-[illegible] नं० 2272
3 [illegible] 27/9/18
4-[illegible] 28/9/18
5-[illegible] 28/9/18
6-[illegible] 52
7-[illegible]
8-मिलान कर्ता के हस्ताक्षर
9-[illegible] सं० 300

[illegible]
18/9/18(?)
[illegible]